रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220141
CG-DL-E-24062020-220141

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942
No. 310] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

**सा.का.नि. 401(अ).—**केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176 (अ), तारीख 16 मार्च, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सभी व्यक्तियों द्वारा जिनके उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जब उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 16 मार्च, 2020 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (पांचवा संशोधन) नियम 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,

(i) प्ररूप 1 में, उपशीर्ष "घोषणा" में, मद (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) प्ररूप 1क में,--

(क) क्र.सं. 3 में, मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाणपत्र" उपशीर्ष में, प्रविष्टि सं. (iv) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(v) आवेदक की रंग पहचानने की क्षमता की जांच इशिहारा चार्ट का उपयोग करके की गई है और आवेदक को गंभीर या पूरी तरह से रंगान्धता से ग्रसित नहीं पाया गया है।"

[फा. सं. आरटी–11012/03/2015–एमवीएल(पार्ट-1)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**टिप्पण.–** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि 308 (अ), तारीख 22 मई, 2020 द्वारा संशोधित किए गए ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th, June 2020

**G.S.R. 401(E).—**Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 176(E) dated the 16th March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 16th March, 2020;

AND whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

**1. Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (herein after referred as the said rules),

(i) In FORM 1, in the sub-heading "Declaration", the item (d) and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) In FORM 1 A;-

(a) In Serial number 3, the item (b) and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) In the sub-heading "Certificate of Medical Fitness", after the entry number (iv), the following entry shall be inserted, namely:-

"(v) Applicant's colour vision has been tested using standard ishihara chart and the applicant has not been found suffering from severe or total colour blindness.".

[F. No. RT-11012/03/2015-MVL(pt-1)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 308(E), dated the 22nd May, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2020.06.24 20:02:41 +05'30'